उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-66/2001-02

मनोज दर्वे

बनाम्

उज्ज्वल कुमार

–: आदेश :–

दिनांक	
25/04/2	अपीलकर्त्ता के अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को एक तरफा सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मनोज दर्वे, पिता–रामरूप दर्वे, सा0–पथरगामा, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–17/2000–01 के आदेश दिनांक–02.08.2001 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–17/2000–01 के आदेश दिनांक–02.08.2001 के द्वारा ज्ञान शंकर भगत, पे0–स्व0 लक्ष्मण भगत, सा0–तुलसीकिता को मौजा–लक्ष्मीनियाँ का प्रधान नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता का आवेदन है कि मौजा–लक्ष्मीनियाँ थाना नं0–147 प्रधानी मौजा है। स्व0 बिगन भगत उक्त मौजा के अंतिम प्रधान थे। बिगन भगत के मृत्यु के बाद संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 4(IX) के अनुसार मौजा खास हो गया था एवं लगान की वसूली कर्मचारी के द्वारा की जा रही थी। उमा शंकर भगत के द्वारा उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए सर्व प्रथम आवेदन दिया गया। उमा शंकर की मृत्यु दिनांक–03.06.2000 को हो गयी। इसके बाद ज्ञान शंकर भगत के द्वारा उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया। उस पर अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा दिनांक–15.04.2001 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसके पश्चात मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश दिया गया। उनका आगे कहना है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत खतियानी प्रधान जग्गु कुँवर के संबंध के आधार पर आवेदन दाखिल किया था। उत्तरवादी उमा शंकर भगत को

उक्त मौजा के रैयतों के राय प्राप्त किये बिना ही नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है।

प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी ज्ञान शंकर भगत की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर उज्ज्वल कुमार को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–लक्ष्मीनियाँ प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान बिगन भगत थे। बिगन भगत की मृत्यु के बाद ज्ञान शंकर भगत को उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। ज्ञान शंकर भगत की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उज्ज्वल कुमार को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्त किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–383/रे0मु0 दिनांक–21.08.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लक्ष्मीनियाँ के पूर्व प्रधान की मृत्यु दिनांक–01.06.2016 को हो गयी है। ज्ञान शंकर भगत को मौजा–लक्ष्मीनियाँ का प्रधान पी0ए0 केश नं0–17/2000–01 में निर्गत आदेश दिनांक–02.08.2001 के द्वारा नियुक्त किया गया है। ज्ञान शंकर भगत की मृत्यु के पश्चात पी0ए0 केश नं0–09/16–17 में निर्गत आदेश दिनांक–15.04.2017 के द्वारा उनके पुत्र उज्ज्वल कुमार, पे0–स्व0 ज्ञान शंकर भगत को मौजा–लक्ष्मीनियाँ का प्रधान नियुक्त किया गया। उनका आगे प्रतिवेदन है कि आर0एम0ए0 नं0–66/01–02 में दिनांक–26.02.2001 को Call for the lower Court Record का आदेश पारित है। परन्तु पारित आदेश में किसी भी तरह का स्थगन आदेश या मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने संबंधी कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–लक्ष्मीनियाँ प्रधानी मौजा है। उत्तरवादी उज्ज्वल कुमार की नियुक्ति उत्तराधिकारी के आधार पर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–17/2000–01 के आदेश दिनांक–02.08.2001 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:19:57 +05:30
Location: 192.168.29.8